घरेलू कामगारों का राष्ट्रीय प्लेटफार्म

लोखांडे भवन, एफ-52, विकास नगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली -110059
ईमेल: npdomesticworker@gmail.com फोन : 09891264064, 09868815915
facebook.com/NationalPlatformFormDomesticWorkers

Domestic Workers

सेवा में

अध्यक्ष याचिका समिति
राज्य सभा
नई दिल्ली–110001

विषय : घरेलू कामगारों के लिए एक व्यापक कानून के निर्माण हेतु

1. हम, भारत के घरेलू कामगार, जिनकी संख्या 5 करोड़ से अधिक है और जिसमें से अधिकतर महिलाएं हैं जो दलित, पिछड़ी जातियों या आदिवासी समूहों से हैं, इस याचिका के द्वारा आपके माध्यम से माननीय संसद से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी दुर्दशा का संज्ञान ले व हमारी सुरक्षा के लिए एक उचित कानून बनाएं।

2. हमारी संख्या का सही आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय सेम्पल सर्वेक्षण 2005 के अनुसार हम लगभग्र 4.75 करोड़ (2005) है तो कुछ अनुमानों के अनुसार हम लगभग 9 करोड़ हैं। हो सकता है कि 9 करोड़ की संख्या कामगारों की वास्तविक आबादी से कुछ अधिक है पर वो 4.75 करोड़ से तो निश्चित ही अधिक है। अतः हम यह कह सकते हैं कि हमारी संख्या 4 से 5 करोड़ के आसपास है।

3. घरेलू कामगारों में से अधिकतर पिछड़े क्षेत्रों से व असुरक्षित समुदायों से आते हैं। हममें से अधिकतर कामगार गरीब, अनपढ़ व अकुशल कामगार हैं जो शहरी श्रम बाजार को नहीं समझते हैं। हमारे काम का मूल्य सही नहीं आंका जाता, हमें हमेशा कम मजदूरी मिलती है और हमारे लिए उचित कानून नहीं है। घरेलू कामगारों के रूप में हमारी ढेरों समस्याएं हैं – उचित मजदूरी का न होना, कार्य के लिए निर्धारित समय व उचित परिस्थितियों का न होना, कार्यस्थल पर हिंसा, गाली गलौच व यौन प्रताड़ना, दलालों व नियोक्ता एजेन्सियों के हाथों शोषण, मजबूरीवश आप्रवास, सामाजिक सुरक्षा मानकों का अभाव, क्षमतावर्धक उपायों के न होने से यथास्थिति बने रहना।

4. हममें से बहुत से कामगार नियोक्ताओं के घरों में 24 घंटे उपलब्ध मजदूरों के रूप में रह रहे हैं जिनमें से अधिकतर आप्रवासी मजदूर हैं जो दलालों (ये अपने आप को नियोक्ता एजेन्सी कहते हैं) से शोषित हैं। ये दलाल भारी अग्रिम राशि नियोक्ताओं से ले लेते हैं पर हमें हमारी मजदूरी नहीं देते। असल में ये दलाल गुलाम श्रमिकों की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिसमें हमारे श्रम को बेच ये तो भारी मुनाफा कमाते हैं और हमें अमानवीय परिस्थितियों व मजबूरी में काम करने के लिए बाध्य करते हैं। इन आप्रवासी श्रमिकों में से अधिकतर आदिवासी लड़कियां हैं जिनकी उम्र 14 वर्ष से भी कम है। अपने घर से दूर इन आदिवासी लड़कियों का उन दलालों व नियोक्ताओं द्वारा शोषण किया जाता है। घरों में 24 घण्टे रहने वाले कामगारों के अलावा जो घरेलू कामगार सिर्फ दिन भर के लिए मजदूरी करते हैं उनका दिन भी 8 से 14 घण्टे तक का हो सकता है। हममें से कुछ चार पांच घरों में काम करते हैं और हर घर में कुछ घण्टे मजदूरी करते हैं। हममें से किसी को भी थोड़े आराम का समय, सवेतन अवकाश या अन्य सुविधाएं नहीं मिलती।

5. पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने हम घरेलू कामगारों को सामाजिक सुरक्षा व कानूनी मदद देने के लिए कुछ कदम उठाये हैं। हमें 'असंगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा कानून (2008) व 'महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना

(2013) विधेयक में शामिल किया है। श्रम मंत्रालय द्वारा घरेलू कामगारों पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गयी है ताकि कल्याणकारी योजनाओं का नियमन व विस्तार हो सके पर इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में घरेलू कामगारों को शामिल करना व कुछ राज्यों द्वारा न्यूनतम मजदूरी की अधिसूचना जारी करना ऐसे ही उपाय हैं।

6. लेकिन हमारी विशाल संख्या व समस्याओं की विकरालता के आगे ये उपाय बहुत ही अपर्याप्त हैं। भारत में बने श्रम कानूनों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि 'श्रमिक', 'नियोक्ता', 'कार्यस्थल' की अस्पश्टता की वजह से हमें बहुत से श्रम कानूनों के दायरे से बाहर रखा गया है। हमारे कार्य की प्रकृति, नियोक्ता व कामगार का रिश्ता, और कार्यस्थल का सार्वजनिक स्थल न होकर किसी का घर होना, हमें वर्तमान कानूनों के दायरे से बाहर रखता है। इन पारिभाषिक समस्याओं के चलते नियोक्ता एजेन्सियां भी कानून की पकड़ से बच जाती हैं। घरेलू कामगारों को इन कानूनों की पहुंच में लाने के लिए परिभाषाओं को निश्चित ही बदलना होगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948) मातृत्व (प्रसूति) लाभ कानून (1961), श्रमिक मुआवजा अधिनियम (1923), अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर कानून (1979), श्रमिक भुगतान कानून (1936) समान मानदेय कानून (1976), कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (1948), कर्मचारी प्रावीडेन्ट फण्ड अधिनियम (1952), पेमेन्ट ऑफ ग्रेच्यूटी एक्ट (1872) आदि कानूनों में बदलाव की जरूरत है। केवल एक एकीकत व्यापक कानून ही हमें सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है और नियोक्ता एजेन्सियों व घरेलू काम की स्थितियों का नियमन, नियंत्रण कर सकता है। सिर्फ शॉप्स एण्ड एसोसिएशन एक्ट के विस्तार से (जैसा कि दिल्ली में किया गया है) हमारी बदहाली/शोषण की समस्या का समाधान नहीं होगा।

7. भारत को प्रगतिशील श्रम कानूनों के लिए जाना जाता है जो हमने स्वतंत्रता के पहले व बाद में अंगीकार किये। इनमें से कुछ कर्मचारी मुआवजा अधिनियम (1923), ट्रेड यूनियन एक्ट (1926), पेमेण्ट ऑफ वेजेज एक्ट (1936), ट्रेड यूनियन एक्ट (1926), पेमेण्ट ऑफ वेजेज एक्ट (1936) है। आजादी के बाद-हमारी सरकार ने 40 से अधिक केन्द्रीय श्रम कानून पारित किये हैं। लेकिन इन कानूनों से सिर्फ संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ही लाभ हुआ है। जबकि 93 प्रतिशत श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं।

8. इन परिस्थितियों के कारण ही हमें अधिकारियों व संस्थाओं की मदद की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए बहुत अधिक वित्तीय मदद भी नहीं चाहिये क्योंकि समस्या का समाधान कार्यस्थल की परिस्थितियों व नियुक्ति के नियमन में निहित है। ये कार्यस्थल निजी क्षेत्र में हैं जहां सेवा (कार्य) व भुगतान के नियमन की आवश्यकता है।

9. हमारा कार्यस्थल, जो कि किसी का घर है, नितान्त निजी है, वह समाज की नजरों से दूर नहीं होना चाहिये। यह कार्यस्थल एक ऐसी पारदर्शी जगह होना चाहिए जहां नियुक्ति व कार्य की स्थितियों पर देश के कानून का नियंत्रण हो। इसके लिए हमें एक विशेष कानून की जरूरत है जैसे डॉक वर्कर कानून (1948), बीड़ी व सिगार वर्कर कानून (1966), महाराष्ट्र मथाडी हम्माल व अन्य श्रमिक कानून (1969) व बिल्डिंग एण्ड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर कानून (1096)।

10. भारत में खुद भी यह काबलियत है, और घरेलू कामगारों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन 189 के दिशा निर्देश भी हैं जिनके तहत हम घरेलू काम को सम्मानजनक बनाने के लिए एक कानून बना सकते हैं। भारत सरकार ने जून 2011 में इन कन्वेंशन के समर्थन में मत दिया था यथापि इसका अधिसूचित होना अभी बाकी है। हमें दरअसल अब राजनैतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है जो एक व्यापक कानून बना सके जिससे हमारे अधिकारों की सुरक्षा हो व हमें सामाजिक सुरक्षा मिल सके।

11. केवल एक केन्द्रीय कानून ही इस क्षेत्र का नियमन कर सकता है क्योंकि इस क्षेत्र के कामगार लगातार एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं। इसी तरह का एक कानून – अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर अधिनियम निराशाजनक रूप से

अपर्याप्त साबित हुआ है। एक व्यापक एकीकृत कानून ही नियोजन एजेन्सी व कार्य परिस्थितियों का नियमन कर सकता है और हमें सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है।

12. घरेलू कामगार बिल 1959 जैसे अब तक इस क्षेत्र के नियमन के कई प्रयास हुए हैं किन्तु कोई सफलता नहीं मिली है। इस कड़ी में नवीनतम प्रयास भी अर्जुनराम मेघवाल में द्वारा संसद में रखा निजी बिल – घरेलू कामगार बिल 2009 है। इसी तरह के अन्य बिल भी हैं जैसे – राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 2008 में व 2010 में घरेलू कामगार अधिकार अभियान द्वारा निर्मित बिल। लेकिन अभी भी हमारे पास संसद द्वारा पारित कोई कानून नहीं है जिससे शहरों में महिलाओं के लिए सबसे बड़े व सबसे तेजी से बढ़ रहे रोजगार प्रदाता क्षेत्र के अधिकार सुरक्षित किये जा सके व इस क्षेत्र का कल्याण हो सके। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन 189 की रोशनी में यह हमारी बहुत बड़ी कमी है। भारत के संविधान के आर्टिकल 41 और 43ए हमारी मांगों के आधार हैं।

13. घरेलू कामगारों की विशेष कार्य परिस्थितियों व उनकी विशाल संख्या के कारण एक अलग केन्द्रीय कानून की सख्त आवश्यकता है जो हमारे अधिकारों की सुरक्षा कर सके। हम घरेलू कामगारों के लिए जो व्यापक कानून चाहते हैं उसमें ये बिन्दु अत्यंत आवश्यक हैं –

(ए) यह कानून घरेलू कामगारों के **रोजगार** और **कार्य परिस्थितियों का नियमन करने** में व उन्हें **सामाजिक सुरक्षा देने में** एक साथ सक्षम हो। इसमें **मजदूरी व कार्य की अन्य स्थितियों का निर्धारण** शामिल है, **विवादों का निपटारा, रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा** जैसे – **शिशु देखभाल सुविधा, आवास, प्रशिक्षण व दक्षता निर्माण** इस कानून के अंग हों।

(बी) एक **त्रिपक्षीय बोर्ड** हो जो इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित करे। ये बोर्ड व इसके स्थानीय रूप त्रिपक्षीय हों जिसमें **घरेलू कामगारों** (उसमें **आनुपातिक रूप से महिलाओं) के चुने गये प्रतिनिधि** हों। यह बोर्ड, **राज्य कर्मचारी बीमा व भविष्य निधि बोर्ड जैसे स्वायत्त** हो। इस बोर्ड में **विवादों व शिकायतों के निपटारे** की उचित व्यवस्था हो।

(सी) यह बोर्ड निम्न कार्य करेगा –

– **कामगारों का पंजीकरण** व उनके **सामाजिक सुरक्षा अनुदान का नियमन**

– **कार्यस्थितियों का नियमन**

– **सामाजिक सुरक्षा**

– **नियोक्ताओं का पंजीकरण व सामाजिक सुरक्षा हेतु उनके द्वारा प्रदत्त राशि का संग्रहण**

– **न्यूनतम मजदूरी भुगतान की देखभाल**

– बोर्ड में एक **हेल्प लाइन** की व्यवस्था हो व सभी स्तरों पर **शिकायत निवारण** समितियां हों जो **यौन/लैंगिंक प्रताड़ना के मामलों को हल कर सकें।**

(डी) यह बोर्ड का कर्तव्य होगा कि वो नियोक्ता एजेन्सियों का पंजीकरण करे। इसका अर्थ होगा कि नियोक्ता एजेन्सी से **कामगार का पूरा रिकार्ड, नाम, फोटो, पता बोर्ड को दे** व शुल्क भी अदा करे। ये एजेन्सियां स्पष्ट बताएं कि **वो घरेलू कामगारों व उनके नियोक्ताओं को क्या सेवाएं दे रही है,** विषेशकर जब कामगार दूसरे राज्य से हो।

(ई) **बोर्ड कामगारों के दक्षता निर्माण का कार्य करेगा।**

(एफ)कामगारों के लिए एक स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था हो जिसे पूरे देश में मान्यता प्राप्त हो ताकि सेवा निवृत्ति के बाद वो देष में कहीं भी अपने परिलाभ प्राप्त कर सकें। इससे इन कामगारों को सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी जो अलग–अलग राज्यों में कार्य कर चुके हैं।

(जी) यद्यपि यह केन्द्रीय कानून एक आदर्ष व्यवस्था व नियम बनाने में मदद करेगा, तथापि इस कानून में यह व्यवस्था हो कि राज्य सरकारें हर राज्य में कई योजनाएं चला सकें। चूंकि हर क्षेत्र की कार्य स्थितियां भिन्न हैं अतः स्थानीय कामगार प्रतिनिधियों से उचित सलाह की जाये।

जैसा कि श्रम मामलों की तदर्थ समिति में सुझाया है कि सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिषत अकुषल कामगारों के सामाजिक सुरक्षा के लिए सुनिष्चित किया जाये, इसमें से एक उचित अनुपात घरेलू कामगारों के लिए अलग रखा जाये। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं द्वारा एकत्रित गष्हकर का एक प्रतिषत इस कार्य के लिए वेलफेयर बोर्ड को दिया जाये।

हमारी यह गंभीर मांग है कि हमारी इस याचिका पर जिस पर हजारों कामगारों के हस्ताक्षर हैं सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उचित कदम उठाये गये। हम आपको यह याद दिलाना चाहते हैं कि हम घरेलू कामगार और हमारे परिवार विषेशकर षहरी व अर्द्धषहरी क्षेत्रों में असरदार मतदाता समूह हैं।

यदि हमारे कुछ प्रतिनिधियों को आपके समक्ष प्रस्तुत होने का अवसर दिया जाये तो हम आपके आभारी होंगे।

हम पांच करोड़ घरेलू कामगारों की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं, इस आषा के साथ कि आप इस याचिका पर अत्यंत गंभीरता से विचार करेंगे।

	नाम	पता व फोन	हस्ताक्षर
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....
5.	.....	.....	.....
6.	.....	.....	.....

घरेलू कामगारों का राष्ट्रीय प्लेटफार्म

लोखंडे भवन, एफ-52, विकास नगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059

ईमेल: npdomesticworker@gmail.com फोन : 09891264064, 09868815915

facebook.com/NationalPlatformForDomesticWorkers

दिल्ली के घरेलू कामगारों से अपील

"घरेलू कामगारों की संसद को याचिका"

पर हस्ताक्षर करो

और

घरेलू कामगारों के त्रिपक्षीय बोर्ड की मांग कर रहे

भारत के पांच करोड़ घरेलू कामगारों के साथ जुड़ो

* * *

याचिका में किये जा रहे अनुरोध का समझने के लिए और

त्रिपक्षीय बोर्ड से मिलने वाले फायदों को समझने के लिए

अपने कार्य क्षेत्र में की जा रही बैठकों में भाग लें और

अपनी बस्तियों में की जा रही बैठक में भाग लें

* * *

I.L.O. द्वारा घरेलू कामगारों के लिए पारित

I.L.O. प्रस्ताव C-189 की

दूसरी वर्षगांठ पर घरेलू कामगार दिवस मनाने के लिये

16 जून 2013 को

त्यागराज स्टेडियम चलो

आपकी बस्ती से तालकटोरा स्टेडियम जाने की सामूहिक व्यवस्था के लिए हमें फोन पर संपर्क करें।

घरेलू कामगारों बुधवार, 31 जुलाई 2013 को संसद भवन पहुँचने की तैयारी करो

अपनी–अपनी बस्तियों में, अपने–अपने कार्यस्थलों पर
घरेलू कामगारों की टोलियाँ बनाओ

संसद को घरेलू कामगारों की याचिका पर
हस्ताक्षर करो और अपने एम्पलायरों से भी हस्ताक्षर करवाओ

घरेलू कामगारों त्रिपक्षीय बोर्ड नियोक्ताओं से
वार्षिक योगदान लेकर
नियोक्तओं को बहुत सी जिम्मेदारी से मुक्त करेगा

घरेलू कामगारों का त्रिपक्षीय बोर्ड
बनाने के कानून की मांग को आगे बढ़ाओ

घरेलू कामगारों का त्रिपक्षीय बोर्ड ही
हमारे काम को सम्मानजनक काम बना सकता है।

घरेलू कामगारों का त्रिपक्षीय बोर्ड ही हमें
साप्ताहिक छुट्टी की तनख्वाह, बच्चों की पढ़ाई का खर्च,
स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च, दुर्घटना में तुरन्त सहायता,
आपातकाल में सहायता और बुढ़ापे में पेंशन
दे सकता है।

घरेलू कामगारों के हस्ताक्षर करवाने के लिए संसद को घरेलू कामगारों की याचिका की प्रतियाँ उपरोक्त और निम्न पते से प्राप्त करें।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा पारित प्रस्ताव 189 व संस्तुतियां 231 की दूसरी वर्षगांठ पर प्रचार के लिये वितरित

निर्मला निकेतन (आदिवासी घरेलू कामगारों की सहकारी समिति)

सी–484, मिलेनियम अपार्टमेन्ट, सी ब्लाक, सेक्टर–18, रोहिणी, दिल्ली–110085

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें –

आद्रियाना टोप्पो	गायत्री सोलंकी	बिबयानी मिन्ज	बिमला	सरोज सोरेंग	सुभाष भटनागर, एडवोकेट
27872342	9953746873	9968347322	8745863845	8826856954	9810810365

National Platform for Domestic Workers

Lokhande Bhawan, F-52, Vikas Nagar, Uttam Nagar, New Delhi-110059
E-mail : npdomesticworker@gmail.com Phone : 09891264064, 09868815915

National Convenors:
Sr. Celia
Karnataka D Workers Union

Fr.Chetan
National Domestic Workers Movement

Geetha Ramakrishna
Unorganised Workers Federation

Sr. Lissy
National Domestic Workers Movement

Medha Thatte
Pune City D Workers Organisation

Nalini Nayak
SEWA

Subhash Bhatnagar
Nirmala Niketan Cooperative

Bro. Varghese Theckanath s.g.
Montfort Social Institute (MSI-DWFI))

State Coordinators:
Andhra Pradesh
Sr. Lissy Joseph
AP Domestic Workers Movement

Coastal Andhra Pradesh
Sr. Brejit mv
MSI-Domestic Workers Forum India
(MSI-DWFI)

Delhi
Anita Juneja
Delhi Gharelu Kamgar Sangathan,

Jharkhand
Fr. Chetan
DWM

Karnataka
Sr. Ida
Karnataka D Workers Union

Kerala
Sonia George, SEWA

Maharashtra
Reena D'Souza, Stree Vani

Odisha
Sr. Selin ssps
MSI- Domestic Workers Forum India
(MSI-DWFI)

Tamil Nadu
P. Clara from NDWM

18-4-2013

Subject : Invitation to support the cause of Domestic Workers

Respected Sir/Madam

We are writing this letter on behalf of over five crore domestic workers, whose conditions of work are so vulnerable and unique that except a separate legislation to provide them comprehensive social security there is no other alternative.

After last one year of process almost all organisations working for domestic workers, trade unions and non-government organisations, have come together on the aforementioned platform to take up the campaign for the enactment of a comprehensive central legislation. The aforementioned platform has drafted a petition for the Petition Committee of the Lok Sabha and the Rajya Sabha both in accordance with the proposal of a comprehensive legislation for domestic workers based on the Constitution of India and the ILO Conventions for domestic workers No.189.

In this regard, the functionaries of various organisations, who have constituted the above platform, met the Members of Parliament of different political parties and different states to seek their support for the above mentioned proposal of a comprehensive legislation in April end.

The functionaries of NPDW will also meet the office bearers of the different political parties to seek their support to provide an assurance for a comprehensive legislation for domestic workers in the election manifesto of all the parties before the next general elections.

The functionaries of NPDW will also met the office bearers of few the central trade unions to seek their support for the cause of the domestic workers.

During May-June-July signature campaign is being organised all over the country on the Petition of Domestic Workers which will be submitted to the Prime Minister, Chairman and Member of Standing Committee of the Labour Minister, Chairman of Member of the Petition Committee of the Lok Sabha and Rajya Sabha. During last weeks of July the Delhi based representatives will meet the Leaders of Political Parties and Central Trade Unions once again.

We invite you to the Rally of domestic workers on 31st July 2013, at Jantar Mantar, where thousands of domestic workers will get together to give their petition to the Petition Committee of the Rajya Sabha and the Lok Sabha both. You are invited to provide your support to the cause of the domestic workers. Your presence will give strength to the movement of Domestic Workers.

Expecting the support of all of you,

Yours Sincerely,

Anita Juneja

State Conveynor